बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्रांक– पी0पी0एम0–26 / 2016– 2563 /कृ0, पटना दिनांक 23/6/2017

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

// अनौपचारिक रूप से परामर्शित #द्वारा – वित्त विभाग।

विषय – **टाल विकास योजना का वित्तीय वर्ष 2017–18 में 89.88444 (नवासी लाख अठासी हजार चार सौ चौवालीस रूपये) की लागत पर योजना कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

टाल विकास योजना का वित्तीय वर्ष 2017–18 में 89.88444 (नवासी लाख अठासी हजार चार सौ चौवालीस रूपये) की लागत पर योजना कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने एवं वातावरण की सुरक्षा की आवश्यकता को ध्यान मे रखकर बिहार सरकार द्वारा टाल विकास योजना समेकित कीट प्रबंधन कार्यक्रम अपनाया गया है, ताकि कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ–साथ कृषि उपज की गुणवत्ता एवं पर्यावरण संरक्षण आदि में सुधार हो सके। यह योजना राज्य के 6 जिलों के टाल क्षेत्रों में दलहनी फसलों पर चलाई जा रही है। चुँकी टाल क्षेत्र में रब्बी दलहन ही महत्वपूर्ण फसल के रूप में उत्पादित किये जाते है, इसलिए वित्तीय वर्ष 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 की भाँति वित्तीय वर्ष 2017–18 में टाल क्षेत्र के प्रत्येक प्रखंडों में दलहनी फसल पर 4 कृषक प्रक्षेत्र पाठशाला (FFS) चलाने का प्रस्ताव है।साथ ही बाढ़ का पानी टाल क्षेत्र से निकलने के बाद सितम्बर–अक्टूबर में खरपतवार की व्यापक समस्या हो जाती है। खरपतवार से निदान हेतु कृषकों को व्यापक रूप से खरपतवारनाशी को अनुदानित मूल्य पर उपलब्ध कराया जायेगा, साथ ही दलहनी फसलों पर विशेषकर मसूर के जाला कीटों तथा उखड़ा रोग / हरदा रोग प्रबंधन हेतु रासायनिक कीटनाशी फफूँदनाशी पर भी 50% अनुदान पर कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगा। जिससे दलहनी फसल उत्पादकता में बढ़ोत्तरी हो सके।

कार्यक्रम का उद्देश्यः–

- कम खर्च में अधिकतम फसल उत्पादन कर किसानों के शुद्ध लाभ में वृद्धि करना।
- विष रहित खाद्यान्न का उत्पादन कर पर्यावरण प्रदूषण को कम करना।
- मानव जीवन में रसायनों के प्रयोग से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को कम करना।
- पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करना ताकि इकोलोजिकल संतुलन बना रहें।
- फसल सुरक्षा में रासायनिक कीटनाशियों को अंतिम शस्त्र के रूप में प्रयोग करना।
- प्रारभिक अवस्था में खरपतवारनाशीयों के उपयोग से दलहन उत्पादकता को बढाना।

3. टाल विकास योजना अन्तर्गत समेकित कीट प्रबंधन प्रत्यक्षण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम में दलहनी फसल उत्पादन में कृषक क्षेत्र पाठशाला की सफल भूमिका रही है। कृषक क्षेत्र पाठशाला का उद्धेश्य कृषकों द्वारा अपने फसलों के कृषि परिस्थितिक तंत्र का विश्लेषण करना एवं तदनुसार फसलों पर विभिन्न जैविक एवं अजैविक कारकों का प्रभाव के अनुसार निर्णय लिया जायेगा। यह प्रशिक्षण चौदह सत्र में सम्पन्न होगा।

4. टाल विकास योजना वर्ष 2017–18 में 89.88444 (नवासी लाख अठासी हजार चार सौ चौबालीस रूपये) की लागत पर कार्यान्वयन का प्रस्ताव है। योजना का मदवार संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है–

मद	सहायता दर	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू० में)
कृषक प्रक्षेत्र पाठशाला (FFS)	26700.00 / FFS	116	30.972
दो दिवसीय मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण	450.00 / प्रति व्यक्ति प्रति दिन	350	3.15
अनुदानित दर पर खरपतवारनाशीयों / फफुंदनाशी / कीटनाशी / वितरण @50% मुल्य का	500 / – प्रति (हे0) अधिकतम	10800 (हे0)	54.00
कार्यालय व्यय (cont.)	दोनो मद का 2% की दर से	116	1.76244
कुल			89.88444

5. उक्त योजना में कार्यमद में वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य का विवरणी अनुसूची–I एवं II पर संलग्न है। यह योजना रब्बी दलहनी फसल पर चलाई जायगी।

6. टाल विकास योजना 2017–18 राज्य के छः टाल क्षेत्र से अच्छादित जिलों यथा:–पटना, नालन्दा, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय एवं शेखपुरा में चलाये जायेगें।

7. **कृषक प्रक्षेत्र पाठशाला**

- उपरोक्त जिलें में प्रत्येक टाल क्षेत्र के प्रखण्डों में चार एफ0 एफ0 एस0 की दर से कुल 116 एफ0 एफ0 एस0 चलाये जायेगें।

- कृषक प्रक्षेत्र पाठशाला (FFS) की अनुमान्य दर 26700 / –रूपये है। 14 सप्ताह / सत्र तक रब्बी दलहनी फसलों में चलने वाले एफ0एफ0एस0 में 30 कृषक को 5 प्रगतिशील कृषक / NGO/AEO के साथ AESA (कृषि पारिस्थितिकी तंत्र विश्लेषण) के द्वारा प्रशिक्षित किया जायेगा। उक्त योजना फसलों पर कीट व्याधि से बचाव के साथ पर्यावरण संतुलन को ध्यान में रखते हुए संचालित की जा रही है। प्रशिक्षुओं के चुनाव में सभी वर्ग के कृषकों को चुना जाना है। जिसमें 20% अनुसूचित जाति एवं 2% अनुसूचित जनजाति की सहभागिता आवश्यक होगी। प्रशिक्षुओं में महिला प्रशिक्षुओं को प्राथमिकता दी जानी है। सभी 30 प्रशिक्षुओं को आई0 पी0 एम0 कीट उपलब्ध कराया जाना है तथा प्रत्येक एफ0 एफ0 एस0 में 5 स्वीपनेट केवल टीम लीडर को कन्टीजेन्ट एक्सपेंडीचर मद की राशि से उपलब्ध कराया जायगा।

- प्रत्येक एफ0 एफ0 एस0 संचालन हेतु दो मास्टर ट्रेनर नियुक्त किये जायेगें। प्रत्येक पूर्ण सत्रों (Season) के लिए 1500 रूपये की राशि मानदेय के रूप में उपलब्ध कराया जायगा। मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रत्येक एफ0 एफ0 एस0 के लिए एक पौधा संरक्षण कर्मी और एक स्थानीय कृषि समन्वयक / किसान सलाहकार को प्रतिनियुक्त किया जायगा। जिन्हें जिला स्तरीय दो सत्रों में प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रत्येक सत्र दो दिन का होगा। द्वितीय सत्र में On field demonstration के द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा। इन प्रशिक्षणों में कृषि विज्ञान केन्द्र / कृषि विश्वविधालय के वैज्ञानिक, कृषि पदाधिकारी एवं सेवानिवृत कृषि वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा। इन प्रशिक्षुकों को प्रत्येक सत्र के लिए मानदेय देय होगा।

- प्रत्येक प्रशिक्षु मास्टर ट्रेनर के लिए 450.00 रू0 प्रतिदिन का दर अनुमान्य है। पूर्व वित्तीय वर्ष की तरह मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण हेतु संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण के लिए निधि एवं कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- अंतिम सत्र के बाद प्रशिक्षित कृषकों का प्रक्षेत्र दिवस आयोजित किया जायगा। जहॉ पर प्रशिक्षित कृषकों के साथ–साथ गैर आई0 पी0 एम0 फिल्ड के कृषक एवं टाल विकास योजना में लाभान्वित कृषकों से विस्तृत चर्चा, विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षकों द्वारा की जायेगी। कार्यकम में भविष्य में सुधार के लिए किए गए सफल / असफल कदमों को अंकित किया जायेगा।

- आई0 पी0 एम0 एवं गैर आई0 पी0 एम0 क्षेत्रों में फसल कटनी जॉच किया जायगा, जिससे तुलनात्मक उपज का अध्ययन किया जा सके।

8. **खरपतवारनाशीयों / फफूँदनाशियों एवं कीटनाशियों का अनुदान पर वितरण**

• टाल क्षेत्र कटोरेनुमा होने के कारण वर्षा का पानी धीरे–धीरे हटता है साथ ही साथ सितम्बर–अक्टूबर के महीने में खरपतवार जैसे मोथा, बड़ी दुधी, छोटी दुधी, हजारा, अमरबेल के व्यापक समस्या हो जाती है। इनके फैलाव को प्रारभिक अवस्था में ही नियंत्रण हेतु दलहन बुआई के पहले विभिन्न खरपतवारनाशीयों को उनके मूल्य के 50 प्रतिशत अधिकतम 500/–रूपये प्रति हे0 की अनुदानित दर से कृषको को उपलब्ध कराया जायेगा। इससे दलहन उत्पादकता में वृद्धि हो पायेगी।

• टाल क्षेत्र के दलहनी फसलों खासकर मुख्य फसलों में प्रायः उखड़ा रोग एवं जाला कीट, फलीछेदक कीट एवं अन्य किसानों को काफी नुकसान होने की सम्भावना रहती है जिसके प्रबंधन के लिए 50% अनुदान पर फफूँदनाशी एवं कीटनाशी कृषकों को उपलब्ध कराय जाएगा। जिसके चलते भी दलहन उत्पादकता में काफी वृद्धि हो पायगी।

• योजना का कार्यान्वयन संबंधित जिला के सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण द्वारा किया जायेगा, इसके नोडल पदाधिकारी संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना होगें तथा योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी कृषि निदेशक, बिहार, पटना होगें।

9. वित्तीय वर्ष 2017–18 में निकासी हेतु बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि की विवरणी निम्न प्रकार है:–

(राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष–2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघुशीर्ष–109–विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, मांग संख्या–01, उपशीर्ष–0106– इनटेनसिफाइड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना, विपत्र कोड– 01–2401001090106 विषय शीर्ष– 0106.27.01 लघु कार्य	664.00	74.60409
मुख्य शीर्ष–2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00,लघुशीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या–01, उपशीर्ष –0106– इनटेनसिफाइड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना, विपत्र कोड– 01–2401007890106 विषय शीर्ष– 0106.27.01 लघु कार्य	128.00	14.38151
मुख्य शीर्ष–2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–796– जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग संख्या–01, उपशीर्ष–0134– इनटेनसिफाइड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना, विपत्र कोड– 01–2401007960134 विषय शीर्ष– 0134.27.01 लघु कार्य	8.00	0.89884
कुल	**800.00**	**89.88444**

10. उक्त योजना में कार्यमद में वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य का विवरणी अनुसूची–I एवं संबंधित जिला के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की सूची अनुसूची–II पर संलग्न है।

11. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.03.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या–96 वि0 (2) दिनांक 03.01.08 एवं 2199/वि0 दिनांक 24.03.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में योजना की स्वीकृति में प्रधान सचिव का अनुमोदन दिनांक को प्राप्त है।

12. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

13. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–पी0पी0एम0–26/2016 के पृ0सं0– 23/टि0 पर दिनांक– 22.06.2017 को प्राप्त हैं।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

18.6.17

(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पी0पी0एम0–26 / 2016– 2563 /कृ0, पटना दिनांक 28/6/2017

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.6.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पी0पी0एम0–26 / 2016– 2563 /कृ0, पटना दिनांक 28/6/2017

प्रतिलिपिः– योजना एवं विकास विभाग / वित्त विभाग एवं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.6.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पी0पी0एम0–26 / 2016– 2563 /कृ0, पटना दिनांक 28/6/2017

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.6.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पी0पी0एम0–26 / 2016– 2563 /कृ0, पटना दिनांक 28/6/2017

प्रतिलिपि– कृषि मंत्री के आप्त सचिव /कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव / प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव, बिहार, पटना / कृषि निदेशक, बिहार, पटना / निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना / सभी संबंधित जिला पदाधिकारी / सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त / संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, पटना / बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उप कृषि निदेशक(सूचना), बिहार, पटना को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28.6.2017

Tripathi

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

28